

III. सामाजिक विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार		वर्तमान पंचायत समिति वार्डों के अनुसार	
जनसंख्या:	3652	वर्तमान जनसंख्या:	5650
पुरुषों की संख्या:	1857	पुरुषों की संख्या:	2976
महिलाओं की संख्या:	1795	महिलाओं की संख्या:	2674
एफ.एच.टी.सी. की संख्या:	496	एफ.एच.टी.सी. की संख्या:	900

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) _____ किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
 -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि) _____ किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न:

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
धान	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
मक्का	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
कपास	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
गहूँ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): _____

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
 ("ग्राम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
 ("ग्राम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	शौचता गृहों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	हाँ	नहीं	नहीं
2.	आंगनवाड़ी	"	"	"
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	"	"	"
4.	ग्राम पंचायत भवन	"	"	"
5.	अन्य	"	"	"

Secretary / Auth. Signatory
 Yuwak Vikas Samiti
 Madmanpur Parsipur, Bhadohi

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 36 के.एल.डी.
 भवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 40 के.एल.डी.
 भवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 4
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 36 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 36 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: डेंग, मलेरिया, डिप्थीरिया
 पानी की गुणवत्ता
 20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पपी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रोमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
	695	5050

Secretary / Auth. Signatory
 Yuwak Vikas Samiti
 Vedmanpur Parsipur, Bhado

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बीते हुए दिनों में संशोधन है? (हाँ/नहीं)
25. यदि हाँ तो उन संशोधन जल संचारी की सूची जितना कार्यालय/संस्थान जाने किया जा रहा आवश्यक है

26. उपरोक्त स्रोतों जल (जल आपूर्ति का 85%) 25 के एम.जी. अलग-अलग स्रोतों गहरी वाले परिवारों की संख्या 60 इस परिवारों की संख्या जिन्हें स्रोतों गहरी की आवश्यकता है 60 आवश्यक सामुदायिक स्रोतों गहरी की संख्या 6 क्या अपशिष्ट तबछट लाजब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं) हाँ यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिविधायित्व किया गया है हाँ यदि नहीं, तो स्रोतों जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपचारों को अपनाया जाना चाहिए? नहीं

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस-किस के तहत एक/एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.एस. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंचन वाटर स्थानीय या घरेलू जल वाले गाँवों में एम.जी.एम.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एम.जी.एम.
 - वाटर मिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.जी.एम.
 - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकल/अधिकांशी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिविधायित्व जल स्रोत: कुसुमपुरा तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: गाम वीरवा

इस योजना के लिए अभिविधायित्व भूमि: गाम वीरवा

यह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 1/12/17

योजना की लागत: 60% भारत सरकार का हिस्सा: 30%

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत धरनु अंशदान: व्यक्तिगत धरनु मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: 10% वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिविधायित्व

पी.डब्ल्यू.एस.:

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ जिधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिविधायित्व योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित जिधि
चौदहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	वे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी)	पंचायत और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	वे-वाटर मैनेजमेंट-सौख्यता गृह (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तबछट लाजब आदि।	
एम.जी.एम.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	

Secretary / Auth. Sign
 Yuwak Vikas Samiti
 Vedmanpur Parsipur, Bhadohi



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संबंधित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	व्यवस्थित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्भरण, जल निकासी का नियंत्रण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एकटॉफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
हातिपूक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में वंचित आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध वित्तीय निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

Secretary / Auth. Sign
 Yuwak Vikas Samiti
 Vedmanpur Parsipur, Bhado

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

30. संपर्क विवरण


ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोजकता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

क्र०सं०	नाम	मोबाइल नं०
1	अनु विन्द	8081506454
2	रोशनी	9120803598
3	नदनी	6306045161
4	जमीना	
5	सीनावती	9621360275



Secretary / Auth. Signatory
Yuwak Vikas Samiti
Vedmanpur Parsipur, Bhado...

Team Leader/ C.C
Jal Jeevan Mission- Prayagraj